

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 11.01.2018

**अत्यावश्यक
आज ही**

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में कार्य कर फाईनल सबमिट की अंतिम तिथि
15 जनवरी, 2018 तक बढ़ाने हेतु।

प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक-15.12.2017, 29.12.2017 एवं 08.01.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य सम्पन्न करने की अंतिम तिथि 10.01.2018 नियत की गई थी। अंतिम 03 दिवस शेष हैं की चेतावनी इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 से देते हुए निर्देशित किया गया था कि शालादर्पण पोर्टल पर समस्त अपेक्षित कार्य सम्पन्न कर आवश्यक रूप से समस्त डाटा को दिनांक 10.01.2018 तक फाईनल सबमिट कर दिया जावे। खेद का विषय है कि कार्य अपेक्षा के अनुरूप सम्पादित नहीं किया जा रहा है। विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निरंतर प्राप्त हो रहे तकनीकी समस्याओं के संदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शालादर्पण के छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 पुर्ननिर्धारित की जाती है। ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। अतः अनिवार्यतः बढ़ाई गई अवधि के भीतर वांछित कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें।

अन्य समस्त निर्देशादि प्रासंगिक पत्रों के अनुरूप रहेंगे।



(नथमल डिडेल)
IAS

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 11.01.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री विनोद जैन, प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल हेतु कार्य सम्पादित करने की अंतिम तिथि दिनांक 15 जनवरी, 2018 तक बढ़ावें तथा उसी दिवस रात्रि 12.00 बजे पोर्टल लॉक किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को जानकारी में आते ही अविलम्ब निस्तारित करवाएं।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद मील, सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा, तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी.जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
3. **समस्त संस्थाप्रधान रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।**
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।



प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर